29.10.24 ..को पेश की जाये
मु॰

29.10.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे
फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी
कि एक तरफा बहस सुनी गई. फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार
कि जाती है। दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत
आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया
गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

ह॰

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :: 93/2018

घनश्याम सिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी सिंगोली चारभुजा तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा

1/1. श्रीमति कुशाल कंवर पत्नि स्व. घनश्याम सिंह जी जाति राजपूत निवासी सिंगोली चारभुजा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

1/2. दिग्विजयसिंह पिता घनश्याम सिंह जाति राजपूति निवासी सिंगोली चारभुजा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

1/3. मु. हर्षिता पुत्री घनश्याम सिंह जाति राजपूत निवासी सिंगोली चारभुजा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. भोपालसिंह पिता हरिसिंह जी जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
2. शंभूसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
3. मिट्ठुसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
4. रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
5. प्रतापसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा ,पारसोली तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
7. भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा: बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
8. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला चितौउगढ जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :— 29.10.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय

वादीगण की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा मालीखेडा पटवार हल्का मोतीपुरा तह0 बेगूँ में स्थित है जिसके खाता संख्या 21 होकर आराजी नम्बर 28 रकबा 0.5430 हैक्टर, आराजी नं. 29 रकबा 0.2750 हैक्टर, आराजी नम्बर 30 रकबा 0.7440 हैक्टर, चाही 2, आराजी नम्बर 31 रकबा 0.1540 हैक्टर, आराजी नम्बर 32 रकबा 1.6770 हैक्टर आराजी नम्बर 34 रकबा 1.3840 हैक्टर नहरी चाही 2 कुल किता— 6 रकबा 4.7770 हैक्टर है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

तथा मौजा हाडो का खेडा पटवार हल्का मोतीपुरा तह0 बेगूँ में स्थित आराजीयात जिसके खाता संख्या 82 होकर आराहजी नम्बर 169 रकबा 0.1130 हैक्टर, आराजी नम्बर 170 रकबा 0.6150 हैक्टर, आराजी नम्बर 171 रकबा 0.1700 हैक्टर चाही 2, आराजी नम्बर 172 रकबा 0.0320 हैक्टर आ.चा., आराजी नम्बर 173 रकबा 0.1050 हैक्टर, आराजी नम्बर 174 रकबा 0.1940 हैक्टर, आराजी नम्बर 175 रकबा 0.1460 हैक्टर, आराजी नम्बर 176 रकबा 0.3560 हैक्टर चाही 2, आराजी नम्बर 177 रकबा 3.7890 हैक्टर बरानी 1 कुल किता 9 कुल रकबा 5.52 हैक्टर जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

यह कि उक्त आराजीयात में वादी का 1/2 व प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा निहीत है, और इसी अनुसार मौके पर बाहमी तौर बंटवाडा होकर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर बिना रोक टोक काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बटवाडा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा संबंधि व मेर पाली व भूमि की किस्म व लगान को लेकर आपसी विवाद होते रहते है, इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चल कर बंटवाडा करने को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया इसलिए उक्त भूमि का हक हिस्से अनुसार बंटवारा करने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि वादी का उक्त विवादित दोनो ही आराजीयात में 1/2 हक हिस्से दर्ज रेकार्ड है, हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी का खाता अलग अलग किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होगा। यह कि वाद कारण दिनांक 5.07.18 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...त्रा कराने को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया तब से ही वाद कारण पैदा होकर हर रोज ...मान है।

प्रतिवादी सं. 6 ऋण दाता बैक तथा प्रतिवादी सं. 7 व 8 वाद में आवश्यक पक्षकार भूमिधारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान सेवादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है:

क— कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित मौजा मालीखेडा की खाता संख्या 21 में वादी के निहित 1/2 हक हिस्से व प्रतिवादीगण के 1/2 हक हिस्से तथा मौजा हाडो का खेडा की खाता संख्या 82 मे वादी के निहीत 1/2 हक हिस्से व प्रतिवादीगण के 1/2 हक हिस्से भूमि का हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादी का खाता पृथक दर्ज रेकार्ड किया जावें।

ख— कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादी हो व विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तूत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। दावा अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0 का होने से भूमिधारी विभाजन के वाद में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तृत नहीं किया गया। पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी हेतू शपथ पत्र वादी दिग्विजय सिंह, व स्वंतत्र गवाह मंगल पिता नारायण जी रेबारी के प्रस्तूत कर वादी व गवाह के बयान कलमबद्ध करा पत्रावली में प्रस्तूत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया।

पत्रावली में वादी की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादीगण की बहस दावा पत्रावली पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र अनुसार मौजा मालीखेडा एवं मौजा हाडो का खेडा में स्थित कृषि आराजीयात में वादीगण 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया ।

बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तूत नकल जमाबंदी मौजा मालीखेडा सं.2073 से 76 खाता संख्या 21 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित आराजी संख्या 28, 29, 30, 31, 32, 34 किता— 6 रकबा 4.7770 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री भोपालसिंह शम्भूसिंह मिठुसिंह रघुवीरसिंह प्रतापसिंह पिता हरिसिंह मु.भंवरबाई पति स्व. हरिसिंह 1/2 हिस्सा बराबर सा.देह , घनश्यामसिंह पिता कानसिंह राजपूत 1/2 सा. सिंगोली चारभुजा खातेदार रहन हिस्सा भोपालसिंह प्रतापसिंह रघुवीरिंसह पिता हरिसिंह भंवरीबाई बेवा हरीसिंह का व हिस्सा 1/12 शम्भुसिंह व हिस्सा 1/2 घनश्यामसिंह का व रहन दर रहन हिस्सा प्रतापसिह का बी.ओ.बी.शाखा पारसोली दर्ज होना पाया गया । साथ ही नकल जमाबंदी मौजा हाडो का खेडा प0ह0 मोतीपुरा सं. 2073 से 76 में अंकित खाता संख्या 82 में दर्ज आराजी संख्या 169,170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 किता—9 कुल रकबा 5.52 हैक्टर भूमि श्री भोपालसिंह शम्भूसिंह मिठुसिंह रघुवीरसिंह प्रतापसिंह पिता हरिसिंह मु.भंवरबाई पति स्व. हरिसिंह 1/2 हिस्सा बराबर सा.देह , घनश्यामसिंह पिता कानसिंह राजपूत 1/2 सा. सिंगोली चारभुजा खातेदार दर्ज होकर रहन बैंक आफ बडौदा शाखा पारसोली हिस्सा भोपालसिंह ,प्रतापसिह (दुबारा) रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह व भंवरीबाई बेवा हरीसिंह व हिस्सा 1/12 शंभुसिंह का व हिस्सा 1/2 घनश्यामसिंह का दर्ज होने का अंकन पाया गया । अधिवक्ता वादीगण द्वारा खातेदार मु. भंवरकंवर की मृत्यु दिनांक 025.07.2015 अर्थात वाद प्रस्तूती से पूर्व ही हो जाने के सम्बन्ध में मृत्युप्रमाणपत्र प्रस्तूत करते हुए उन्हें वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाए जाने का कथन अपनी बहस में किया है। इस प्रकार प्रस्तूत सभी दस्तावेज के अवलोकन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, मौजा मालीखेडा के खाता संख्या 21 में अंकित आराजी संख्या 28, 29, 30, 31, 32, 34 किता— 6 कुल रकबा 4.7770 हैक्टर भूमि एवं मौजा हाडो का खेडा के खाता संख्या 82 में अंकित आराजी संख्या 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 किता—9 कुल रकबा 5.52 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का हिस्सा 1/2—1/2 रखते हुए आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किये जाने हेतू तहसीलदार बेगूँ को 1000/— रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री तेयार की जाकर प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार, बेगूँ को वास्ते फर्द बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतू लिखा जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/4055 दिनांक 30.08.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मालीखेडा प.ह. मोतीपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:- ग्राम हाडो का खेडा

1- श्री दिग्विजयसिंह,हर्षिताकंवर, पिता घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 कुशाल कंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर		लगान
170	0.2310		6.42
173	0.1050		1.81
174	0.1940		0.54
175	0.1460		0.36
176	0.3560		5.86
177	1.7120	(0.3240)	2.80
		(1.3880)	3.43
कीता- 06	2.7440 हैक्टर		2686

2- श्री मति भंवरकंवर पत्नि हरिसिह, प्रतापसिंह,भोपालसिह, मिठूसिह,रधुवीरसिह,शंम्भूसिह पिता हरिसिह राजपूत हिस्सा 1/6 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर		लगान
169	0.1130		0.28
170	0.3840		9.34
171	0.1700		4.72
177	2.0777	(0.3240)	2.79
		(1.7530)	4.13
कीता- 06	2.7440 हैक्टर		2191

आ.स. 172 रकबा 0.0320 किस्म आ.चा. का खाता यथावत बदस्तुर

ग्राम :- मालीखेडा

3- श्री दिग्विजयसिंह,हर्षिताकंवर, पिता घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 कुशाल कंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
28 मेसे	0.2425	4.49
29 मेसे	0.0300	0.56
30 मेसे	0.2620	0.54
32	1.6770	31.07
31	0.1540	2.85
कीता- 05	2.3655 हैक्टर	46.25

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

मति भंवरकंवर पत्नि हरिसिह, प्रतापसिंह,भोपालसिह, मिठूसिह,रधुवीरसिह,शंम्भूसिह पिता सिह राजपूत हिस्सा 1/6सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर		लगान
28 मेसे	0.3005		5.57
29 मेसे	0.2450		4.54
30 मेसे	0.4640	(0.2630)	7.31
		(0.20210)	3.72
34	1.3560	(1.1800)	3279
		(0.1860)	3.45
कीता– 04	2.3655 हैक्टर		57.38

5– श्री दिग्विजयसिंह,हर्षिताकंवर, पिता घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/6 कुशाल कंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली
श्री मति भंवरकंवर पत्नि हरिसिह, प्रतापसिंह,भोपालसिह, मिठूसिह,रधुवीरसिह,शंम्भूसिह पिता हरिसिह राजपूत हिस्सा 1/12सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
30 मेसे	0.0180	0.33
34	0.250	0.78
कीता– 02	0.0460 हैक्टर	1.18

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :: 93/2018

घनश्याम सिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी सिंगोली चारभुजा तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा

1/1. श्रीमति कुशाल कंवर पत्नि स्व. घनश्याम सिंह जी जाति राजपूत निवासी सिंगोली चारभुजा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

1/2. दिग्विजयसिंह पिता घनश्याम सिंह जाति राजपूति निवासी सिंगोली चारभुजा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

1/3. मु. हर्षिता पुत्री घनश्याम सिंह जाति राजपूत निवासी सिंगोली चारभुजा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा वादीगण

बनाम

1. भोपालसिंह पिता हरिसिंह जी जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
2. शंभूसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
3. मिठ्ठुसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
4. रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
5. प्रतापसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी मालीखेडा तह0 बेगू
6. शाखा प्रवंधक बैंक ऑफ बडौदा ,पारसोली तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
7. भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार साः बेगूँ जिला चितौडगढ़
8. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला चितौउगढ जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.10.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष न्यायालय में प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मालीखेडा प.ह. मोतीपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

ग्राम हाडो का खेडा

1– श्री दिग्विजयसिंह,हर्षिताकंवर, पिता घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 कुशाल कंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर		लगान
170	0.2310		6.42
173	0.1050		1.81
174	0.1940		0.54
175	0.1460		0.36
176	0.3560		5.86
177	1.7120	(0.3240)	2.80
		(1.3880)	3.43
कीता– 06	2.7440 हैक्टर		2686

2– श्री मति भंवरकंवर पत्नि हरिसिह, प्रतापसिंह,भोपालसिह, मिठूसिह,रधुवीरसिह,शंम्भूसिह पिता हरिसिह राजपूत हिस्सा 1/6 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर		लगान
169	0.1130		0.28
170	0.3840		9.34
171	0.1700		4.72
177	2.0777	(0.3240)	2.79
		(1.7530)	4.13
कीता– 06	2.7440 हैक्टर		2191

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

172 रकबा 0.0320 किस्म आ.चा. का खाता यथावत बदस्तुर

मालीखेडा

श्री दिग्विजयसिंह,हर्षिताकंवर, पिता घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 कुशाल कंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
28 मेसे	0.2425	4.49
29 मेसे	0.0300	0.56
30 मेसे	0.2620	0.54
32	1.6770	31.07
31	0.1540	2.85
कीता– 05	2.3655 हैक्टर	46.25

4– श्री मति भंवरकंवर पत्नि हरिसिह, प्रतापसिंह,भोपालसिह, मिठूसिह,रधुवीरसिह,शंम्भूसिह पिता हरिसिह राजपूत हिस्सा 1/6सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर		लगान
28 मेसे	0.3005		5.57
29 मेसे	0.2450		4.54
30 मेसे	0.4640	(0.2630)	7.31
		(0.20210)	3.72
34	1.3560	(1.1800)	3279
		(0.1860)	3.45
कीता– 04	2.3655 हैक्टर		57.38

5– श्री दिग्विजयसिंह,हर्षिताकंवर, पिता घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/6 कुशाल कंवर पत्नि घनश्यामसिंह राजपूत हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

श्री मति भंवरकंवर पत्नि हरिसिह, प्रतापसिंह,भोपालसिह, मिठूसिह,रधुवीरसिह,शंम्भूसिह पिता हरिसिह राजपूत हिस्सा 1/12सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
30 मेसे	0.0180	0.33
34	0.250	0.78
कीता– 02	0.0460 हैक्टर	1.18

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2024/534 दिनांक :– 29.10.24

दावा संख्या 93/2018 व अनवान घनश्यामसिंह बनाम भोपालसिह व अन्य अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)